

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था. (रा. न्या. से.) सं. प.अ. / २६५ / 2024


दिनांक २८.०८.२०२४

श्रीमती वैदेहीसिंह चौहान (RJ00891), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला) को दिनांक 02.09.2024 से 12.09.2024 तक 11 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.09.2024 एवं 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौहान की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश सो लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था. बी.2 (4) / 62 / 2015 / ६७४६

दिनांक २८.०८.२०२४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 4323 दिनांक 08.08.2024 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती वैदेहीसिंह चौहान (RJ00891), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला)।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला)।
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मणिस्ट्रेट, बालेसर (जोधपुर जिला)।

  
२८.०८.२०२४  
सहायक रजिस्ट्रार